# उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता ( तेरहवाँ संशोधन), 2018

संख्या : उ०प्र०वि०नि०आ० / सचिव / विनियम / आपूर्ति संहिता / 2018 / 206

दिनांक 10 अगस्त, 2018

## अधिसूचना

### विविध

जबिक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 एवं 183 के अनुसार तथा इसकी ओर से समस्त अन्य शिक्तयों के अधीन उ० प्र० विद्युत आपूर्ति संहिता (बारहवाँ संशोधन) दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित किया गया था।

और जबिक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता के कुछ प्राविधानों तथा उनके संशोधनों के अनुपालन में किठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके संशोधनों के लिये अनुरोध किया गया है।

और जबिक उपर्युक्त के परिणामस्वरूप तथा अन्य प्रमुख कारणों से आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्राविधानों तथा उनके संशोधनों को बदला जाना आवश्यक हो गया है।

अतः अब विद्युत अधिनियम की धारा 50 तथा आपूर्ति संहिता, 2005 तथा इसकी ओर से प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग विद्युत आपूर्ति संहिता ( तेरहवाँ संशोधन), 2018 नाम से विद्युत आपूर्ति संहिता में निम्न संशोधन करता है:—

1—**संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रभावी होना**— (1) यह संहिता विद्युत आपूर्ति संहिता ( तेरहवाँ संशोधन), 2018 कहलायगी।

(2) यह इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

2— **अनुच्छेद 4.6 (ड.)(ii) का संशोधन**— कथित संहिता का अनुच्छेद 4.6 (ड.)(ii) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा।

विद्यमान	संशोधित
(ड.)(ii) यदि कार्य विकासक / आवेदक / विकास	(ड.)(ii) यदि कार्य विकासक/आवेदक/
प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, तो	विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, तो
अनुज्ञप्तिधारी पर्यवेक्षण प्रभार (प्राक्कलित श्रम	अनुज्ञप्तिधारी पर्यवेक्षण प्रभार (प्राक्कलित श्रम
मूल्य, सामग्री संध्यवहार और	1 ()
भण्डारण / तालिका व्यय, किन्तु प्रणाली प्रभार	
और संस्थापन व्यय को अपवर्जित करके) मूल्य	
आंकड़ा पुस्तिका में विनिदिंग्ट प्राक्कलनं के	मूल्य आंकड़ा पुरितका में विनिदिष्ट प्राक्कलन।
प्रतिशत के रूप में प्रभारितः करेगा जिसे कार्य	के प्रतिशत के रूप में प्रभारित करेका िवसे
प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञाप्तिधारी के पास जमा	कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के
किया जाएगा।	पास जमा किया जाएगा।

- 50 किलोवाट तक एल0टी0 भार के लिए, यदि उपभोक्ताओं के अनुरोध पर एच0टी0 पर आपूर्ति अवमुक्त की गयी है (ऐसे मामलों में माप एल0टी0 पर किया जाएगा और बिल एल0टी0 टैरिफ के अनुसार होगा)— 15 प्रतिशत
- 50 किलोवाट (56 के०वी०ए०) से अधिक 3600 किलोवाट (4000 के०वी०ए०) तक भार के लिए— 15 प्रतिशत
- 3600 किलोवाट से अधिक 9000 किलोवाट (10000 के0वी0ए0) तक भार के लिए— 8 प्रतिशत
- 9000 किलोवाट (10000 के0वी०ए०)
   से अधिक भार के लिए- 5 प्रतिशत

- 50 किलोवाट तक एल0टी0 भार के लिए, यदि उपभोक्ताओं के अनुरोध पर एच0टी0 पर आपूर्ति अवमुक्त की गयी है (ऐसे मामलों में माप एल0टी0 पर किया जाएगा और बिल एल0टी0 टैरिफ के अनुसार होगा)— 15 प्रतिशत
- 50 किलोवाट (56 के०वी०ए०) से अधिक 3600 किलोवाट (4000 के०वी०ए०) तक भार के लिए— 15 प्रतिशत
- 3600 किलोवाट से अधिक 9000 किलोवाट (10000 केंoवीoएo) तक भार के लिए— 8 प्रतिशत
- 9000 किलोवाट (10000 के०वी०ए०)
   से अधिक भार के लिए— 5 प्रतिशत

अधिसूचना की तिथि से संशोधित प्राविधान के प्रभावी होने के बावजूद प्राक्कलन में सामग्री की लागत में इस संशोधन से पूर्व लिये गये पर्यवेक्षण प्रभार को वापस नहीं किया जायेगा।

# 3. अनुच्छेद 4.9 का संशोधन -कथित संहिता के अनुच्छेद 4.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

विद्यमान भाग अ : बहुमंजिला भवन/मल्टीप्लेक्स/वैवाहिक हाल / विकास प्राधिकरणों और/या प्राइवेट निर्माताओं / सम्प्रवर्तकों / कालोनी निर्माण करने वाले / संस्थानों / व्यक्तिगत आवेदकों (अनुज्ञप्ति विद्युत निरीक्षकों द्वारा अनुमोदित) द्वारा विकसित किये जाने वाली कालोनियों में नये विद्युत संयोजन (क) एकल बिन्दु पर मीटर लगाने के साथ आपूर्ति के एकल बिन्द पर विद्युत सयोजन नये घरेलू / गैर घरेल्, बह्मंजिली भवनों / मल्टीप्लैक्स / वैवाहिक गृहों / सहकारी सामूहिक आवास समितियों / कालोनियों को 25 केंंगडब्ल्यूंग से अधिक भार के साथ प्रदान किया जायेगा। नेकिन, यह व्यक्तिकत संयोजन के लिये लागू करने से व्यक्तिगत स्वामी को निर्वन्धित नहीं करेगा और अनुज्ञप्तिधारी एल0टी० पर ऐसे आवेदक का संयोजन की स्वीकृति करेगा।

(ख) भार की संगणना संलग्नक 4.6 में दिये गये संनियमों के अनुसार संनिर्मित क्षेत्र के आधार पर

## संशोधित

भाग अ : बहुमंजिला भवन/मल्टीप्लेक्स/वैवाहिक हाल/विकास प्राधिकरणों और/या प्राइवेट निर्माताओं/सम्प्रवर्तकों/कालोनी निर्माता/संस्थानों /व्यक्तिगत आवेदकों (अनुज्ञापित विद्युत निरीक्षकों द्वारा अनुमोदित) द्वारा विकसित किये जाने वाली कालोनियों में नये विद्युत संयोजन

क. समस्त घरेलू / गैर घरेलू बहुमंजिला भवनों / मल्टीप्लेक्स / वैवाहिक हाल / सहकारी सामूहिक आवास समीतियों / कालोनियों में नये संयोजन विद्युत आपूर्ति हेतु निजि स्वामियों / निवासियों को बहुसंयोजन बिन्दु पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवमुक्त किये जायेंगे।

ख. विकासकर्ता / विकास प्राधिकरण की भूमिका व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक विद्युत संरचना उपलब्ध कराने तक सीमित होगी। तदनुसार प्रारम्भिक चरण में विकासकर्ता / विकास प्राधिकरण विद्युत संरचना के विकास हेतु अनुज्ञप्तिधारी से एक अस्थायी

किया जायेगा, परन्तु एकल बिन्दु की आपूर्ति आवेदक आवेदन में या तो (i) आच्छादित क्षेत्र संगणना प्रक्रिया के लिये, या (ii) अनुज्ञप्तिधारी के समाधान में वास्तविक अपेक्षा के अनुसार विकल्प दे सकेगा।

- (ग) आवेदक / विकासक / विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होगाः
- (i) अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र (220/132/33 के0वी0 या 33/11 के0वी0 या 11/0.4 के0वी0) से व्यक्तिगत स्वामी के परिसर में उसके व्यय पर या अनुज्ञप्तिधारी से व्यय सारणी पुरितका के अनुसार नियत धनराशि जमा करके वाह्य संयोजन तक वितरण नेटवर्क के लिये अपेक्षित सम्पूर्ण अधिसंरचना का विकास करने, संनिर्माण करने के लिये.
- (ii) थोक आपूर्ति मीटर/उप मीटर/या व्यक्तिगत मीटर को सील करने के साथ सुरक्षित आवास के लिये प्रबन्ध करने और काम्प्लेक्स/कालोनी में प्रत्येक व्यक्तिगत परिसर में खाइयों/नालियों में भूमिगत/सिरोपरि आन्तरिक केबिल बिछाने के लिये.
- (iii) समुचित सीमा के भीतर चहारदीवारी में प्रवेश के नजदीक अधिमानतः अनुज्ञप्तिधारी के मीटर के आवास के लिये समुचित आकार और उचित वाताययुक्त मीटर के कक्ष के संनिर्माण के लिये और काम्पलेक्स में प्रवेश किये बिना बाहर से पहुँच योग्य होना चाहिये,
- (iv) एच०वी०डी०एस० का प्रयोग करने के लिये, जहाँ कहीं लागू हो और व्यक्तिगत स्वामियों के प्रयोग के लिये पूर्व संदत बिल देने की प्रणाली को पुरःस्थापित करने के लिये। अनुज्ञप्तिधारी आवेदक, विकासक / विकास प्राधिकरण को आवश्यक मार्ग निर्देश प्रदान कर सकता है।

(घ)25 के0डब्ल्यू0 से अधिक भार के लिये, विकास प्राधिकरण/निर्माता/कालोनी निर्माता/संस्था—

- ऊपर विर्निदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के पदाभिहित अधिकारी को जाँच प्रभार के साथ यदि कोई हो, विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा,
- सम्पूर्ण भवन / कालोनी के संनिर्मित क्षेत्र को सम्यक रूप से दर्शित करते हुए भवन के कालोनी का नक्शा / योजना की प्रतिलिपि पेश करेगा, जो सम्बद्ध विकास

संयोजन लेंगे। एक बार विद्युत संरचना के विकिसत हो जाने पर विकासकर्ता उसे बस बार तथा अन्य केन्द्रीय संयंत्रों सिहत अनुज्ञिप्तिधारी को सौंप देगा जो उसके नियंत्रण में रहेंगे। विद्युत संरचना के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने तथा अनुज्ञिप्तिधारी को सौंपे जाने पर समस्त कब्जेदार/उपभोक्ता अनुज्ञिप्तिधारी से व्यक्तिगत संयोजन हेतु आवेदन करेंगे जबिक विकासकर्ता/ निवासी कल्याण संगठन मिश्रित सुविधाओं हेतु अलग से संयोजन अथवा संयोजनों के लिये आवेदन करेंगे।

स्पष्टीकरण – इस उप–अनुभाग के प्रयोजनार्थ ''विद्युत संरचना'' का अर्थ–

(i) अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपकेन्द्र (220/132/33 के0वी0 अथवा 33/11 के0वी0 अथवा 11/0.4 के0वी0) व्यक्तिगत स्वामी के भवन तक विद्युत नेटवर्क हेतु समस्त संरचना, जो उसकी अपनी लागत पर विकसित की जायेगी अथवा अनुज्ञप्तिधारी के पास कास्ट डाटा बुक के अनुसार नियत धनराशि जमा करके:

परन्तुक यदि विकासकर्ता / विकास प्राधिकरण प्रणाली को स्वयम् से निर्मित करने का विकल्प चुनता है, तो प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टीकरण / सामान्य तकनीकी विवरण (जीटीपी) के अनुसार होगी।

- (ii) अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों की स्थापना हेतु सही नाप का सही हवादार मीटरिंग कक्ष (रूम) प्रमुखतयः परिसर की सीमा में प्रवेश के निकट, सैद्धांतिक रूप से यह प्रांगण में प्रवेश किये बिना बाहर से पहुंच में होना चाहिए।
- (iii) थोक आपूर्ति मीटर/उप मीटर और/या व्यक्तिगत मीटर को सील करने और सुरक्षित स्थापना तथा काम्पलेक्स/कालोनी में प्रत्येक व्यक्तिगत परिसर में खाइयों/नालियों में भूमिगत/सिरोपरि आन्तरिक केबिल बिछाने के लिए।
- जैसा कि ऊपर दिया गया प्राधिकरण / विकासकर्ता / निर्माता / कालोनी विकासकर्ता अस्थायी संयोजन हेत् निर्धारित प्रारूप में भवन / कालोनी के निमार्ण हेत् नामित अधिकारी के समक्ष प्रति किलोवाट / के०वी०ए० के आधार पर व्यय सारणी पुस्तिका के अनुसार निर्धारित धनराशि जमा करके आवेदन करेगा। अरथायी संयोजन को मीटर सहित जायेगा 🥠 तशाः अवमूक्त किया आवश्यकतानुसार इस प्रतिबंध के साथ होगा कि यह अनुमानित वांछित भार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं

- प्राधिकरण / महापालिका / नगरपालिका / ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित हो या रजिस्ट्रीकृत वास्तुविधि द्वारा प्रमाणित हो और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित हो,
- समुचित प्राधिकारी/सरकारी निकायों/ रिजस्ट्रीकृत वास्तुविद द्वारा अनुमोदन को प्रस्तुत न करने के मामले में आपूर्ति सशर्त पूर्ण उत्तरदायित्व को ग्रहण करते हुए आवेदन से वचन की प्राप्ति पर दिया जायेगा कि गिराने या ऐसे प्राधिकारी के आक्षेप की स्थिति में, आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थायी रूप से वियोजित की जायेगी,
- समय सारणी को निर्दिष्ट करेगा, जिसमें भार को मुक्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है और भार को आंशिक मुक्ति के लिये फेज अनुसूची निर्दिष्ट करेगा,
- यदि एकल बिन्दु आपूर्ति विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता, तो समाधानप्रद ढंग से कार्य के पूरा होने तक नक्शा में तैयार किये गये लाइनों और ट्रांसफार्मर को कायम रखने के लिये सम्मति की अभिपुष्टि करते हुए करार को प्रस्तुत करेगा,
- वचन प्रस्तुत करेगा कि समाधानप्रद ढंग से केवल कार्य को पूरा करने के बाद सम्पूर्ण वितरण प्रणाली किसी प्रभार के किसी भुगतान या प्रतिदाय का दावा किये बिना वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ट्रांसफार्मर (रो) के साथ सौंपेगा,
- विहित प्रक्रिया का पालन करेगा, अदेय प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेगा तथा अनुज्ञिप्तधारी द्वारा विर्निदिष्ट और आयोग द्वारा अनुमोदित लागू प्रभार को प्रस्तुत करेगा।
  - (ड.) अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 4.6 और उक्त खण्डों में विर्निदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भार को स्वीकृत करेगा।
  - (च) विकास प्राधिकरण/प्रवर्तक/ निर्माता/कालोनी निर्माता स्वीकृत भार या स्वीकृत भार के भाग के आधार पर (कालोनी या नगर के लिये फेज प्रक्रम में भार की मुक्ति के लिये अनुरोध के मामले में वितरण प्रणाली के खर्च) जिसमें

- होगा। (आगे इसे माना हुआ भार सन्दर्भित किया गया है)
- घ. प्रार्थना पत्र के साथ निम्न भी प्रस्तुत किये जायेंगे:—
  (i) सम्बंधित विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित अथवा पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रमाणित तथा प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित भवन/कालोनी के प्लान/नक्शे की प्रति जिसमें सम्पूर्ण भवन/कालोनी का निर्मित क्षेत्रफल दर्शाया गया हो। सक्षम प्राधिकरण/सरकारी संस्थाएं/पंजीकृत आर्कीटेक्ट का अनुमोदन प्रस्तुत करने के अभाव वाले प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह विश्वास दिलाने पर कि विध्वंश हो जाने अथवा सक्षम प्राधिकरण की आपत्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी, तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उसका होगा, आपूर्ति प्रदान कर दी जायेगी।
- (ii) बस बार के प्रावधान तथा संदर्भित मीटर के स्थान सिंहत बहु बिन्दु आपूर्ति के लिये विद्युतीकरण का विस्तृत प्लान प्रस्तुत करेगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी की सरल पहुच हो सके। प्लान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- (iii) कार्यों के सन्तोषजनक पूर्ण होने तक कार्यस्थल पर उपलब्ध लाइनों और ट्रांसफार्मर के अनुश्रवण की सहमति हेत् सहमति पत्र।
- (iv) अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा कार्यों के सन्तोषजनक पूर्ण हो जाने पर सहमति प्रदान करेगा कि वह सम्पूर्ण वितरण संरचना को ट्रांसफार्मर सहित बिना किसी भुगतान या किसी प्रकार के व्यय की वापसी का दावा किये वितरण अनुज्ञाप्तिधारी को सोंप देगा।
- (v) अदेयता प्रमाण पत्र तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट तथा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभार का प्रस्तुतीकरण।
- 5. बहुमंजिला भवनों / कालोनियों के मामले में विचारणीय भार की संगणना परिशिष्ट 4.6 में दर्शायी प्रक्रिया एवम् मानक के अनुसार होगी। यह विचारणीय भार प्राक्कलन का आधार होगा।
- (च) विकास प्राधिकरण / प्रवर्तक / निर्माता / कालोनीधारक विचारणीय भार के आधार पर वितरण प्रणाली (ट्रांसफार्मर और / अथवा सब—स्टेशन जो भी वांछित हो का व्यय सम्मिलत करते हुए) का अनुच्छेद 4.6 (घ) के अनुसार प्राक्कलित व्यय निम्न ढंग से वहन करेगा।
  - 50 के0डब्ल्यू० (56 के0वी०ए०) तक
     विद्यमान एलटी० स्रोत परिपथ को सुदृढ, किया

ट्रांसफार्मर और / या उपकेन्द्र के व्यय को शामिल करके, जहाँ कहीं अपेक्षित हो को निम्नलिखित ढंग से वहन करेगा।

- 50 के0डब्ल्यू० तक (56 के०वी०ए०) भार एल०टी० विद्यमान स्रोत परिपत्र को मजबूत किया जायेगा।
- 50 के0 डब्ल्यू० से अधिक तथा 3600 के0 डब्ल्यू० (4000 के०वी०ए०) तक
   11 के०वी० विद्यमान फीडरों को मजबूत किया जायेगा, यदि क्षमता उपलब्ध हो, अन्यथा 11 के०वी० फीडर का सिन्नर्माण

अन्यथा ११ क०वा० फाडर का सान्तमाण 33 के०वी० या १३२ के०वी० उपकेन्द्र से किया जायेगा (यदि ११ के०वी० वोल्टता 33 के०वी० या १३२ के०वी० उपकेन्द्र पर उपलब्ध हो)

3600 के०डब्ल्यू० से अधिक,

के**०डब्ल्यू० तक (10000 के०वी०ए०)** 132 के०वी० उपकेन्द्र से 33 के०वी फीडर पर।

 9000 के0डब्ल्यू० (10000 के०वी०ए०) से अधिक

नजदीकी 132 के०वी० या 220 के०वी० उपकेन्द्र से 132 के०वी० फीडर।

टिप्पणीः नजदीकी 220 के०वी० उपकेन्द्र से 220 के०वी० फीडर, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक समझा गया था, विकास करने वालों/कालोनी निर्माताओं को भी उनके अनुरोध पर अनुज्ञेय होगा। 132 के०वी० और उक्त के लिये सम्प्रेषण अनुज्ञप्तिधारी से समाशोधन प्राप्त किया जायेगा, जहाँ कहीं आवश्यक हो

परन्तु उक्त सीमा केवल निर्देशक है, और-

- (i) स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति के लिये प्राविधान खण्ड 3.4 के अनुसार होगा,
- (i) अनुज्ञप्तिधारी अपने उप महाप्रबन्धक / मुख्य महाप्रबन्धक / या प्रबन्ध निदेशक के सम्यक अनुमोदन के बाद, जो वोल्टता स्तर पर आधारित है, खण्ड 4.2 (क) के प्राविधानों को ध्यान में रखकर समीचीन ढंग से अधिसंरचना का प्रबन्ध करने के लिये व्यक्तिगत मामलों में आपूर्ति को भिन्न ढंग से विनिश्चित कर सकेगा।
- (छ) प्राधिकारी / प्रवर्तक / निर्माता / कालोनी निर्माता केवल उक्त कार्य के प्राक्कलित व्यय के लिये भुगतान करेगा। सेवा संयोजन प्रभार, प्रणाली

जायेगा।

- 50 के0 डब्ल्यू० से अधिक तथा 3600 के0 डब्ल्यू० (400 के०वी०ए०) तक यदि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है तो विद्यमान 11 के०वी० पोषकों को विस्तारित किया जायेगा, अन्यथा 11 के०वी० पोषक का सबसे निकट के 33 के०वी० या 132 के०वी० उपकेन्द्र से निर्माण किया जायेगा (यदि 33 के०वी० या 132 के० वी० पर 11 के०वी० वोल्टता उपलब्ध हो)
- 3600 के0 डब्ल्यू० से अधिक, 9000 के0 डब्ल्यू० (10000 के0वी०ए०) तक
   132 के0वी० उपकेन्द्र से 33 के0वी फीडर द्वारा।
  - 9,000 केंग्डब्ल्यू० (10,000 केंग्वींठए०) से अधिक
    निकटतम 132 केंग्वीं० अथवा 220 केंग्वीं० उपकेन्द्र से 132 केंग्वीं० फीडर द्वारा।
    (टिप्पणी यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक समझा जाये, विकासकर्ता/कालोनी धारक को उनके अनुरोध पर निकटतम 220 केंग्वीं० या 400 केंग्वीं० उपकेन्द्र से 220 केंग्वीं० पीडर भी अनुमण्य होगा। जहाँ कहीं आवश्यकता हो 132 केंग्वीं० तथा उच्च के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से भी समाशोधन प्राप्त किया जायेगा)ः
    परन्तुक यह भी कि उक्त सीमाएँ केंग्वल सांकेंतिक हैं. और
- (i) स्वतंत्र पोषक से आपूर्ति का प्रावधान अनुच्छेद 9.4 के अनुसार होगा।
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी अपने अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता अथवा प्रबन्ध निदेशक के सम्यक अनुमोदनार्थ एवं अनुच्छेद 4.2 (क) के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए अधिसंरचना के समीचीन ढंग से प्रबंधन हेतु वोल्टाज के स्तर पर निर्भर होते हुए व्यक्तिगत प्रकरणों में आपूर्ति प्रदान करने हेतु मिन्न रीति का निर्णय ले सकता है।
- (छ) प्राधिकारी / प्रवर्तक / निर्माता / कालोनी धारक उन्त कार्य के लिए केवल प्राक्कलित व्यय का भुगतान करेगा। सेवा संयोजन प्रभार, प्रणाली प्रभारित व्यय, मोटर का मूल्य, प्रभूति राशि इत्यादि व्यवितमत क्रमा के आवेदक निवासियों द्वारा निजि विद्युत संचालन के लिये

प्रभावित करने के प्रभार, मीटर खर्च, सुरक्षा प्रभार इत्यादि के व्यक्तिगत रूप से आवेदक निवासियों द्वारा व्यक्तिगत विद्युत संयोजन के लिये आवेदन करने के समय वहन किया जायेगाः

परन्तु यदि प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता अनुज्ञप्तिधारी को एकल स्थल आपूर्ति के लिये बहुमंजिला काम्प्लेक्स/कालोनी में फ्लैट के व्यक्तिगत स्वामियों को आपूर्ति के लिये आवेदन करता है, तो उक्त (छ) में यथा विनिर्दिष्ट सभी व्यय/प्रभार उसके द्वारा वहन किये जायेंगे।

- (ज) आधिक्य भार के कारण प्रभार का उदग्रहण जहाँ एकल बिन्दु आपूर्ति विद्यमान है, खण्ड 6.9 (क) के अनुसार होगा और भार या फ्लैट के व्यक्तिगत स्वामियों के प्रयोजन के लिये कोई जाँच आवश्यक नहीं होगी।
- (झ) प्राधिकारी / प्रवर्तक / निर्माता / कालोनी निर्माता कें ठडब्ल्यू० / कें व्यी०ए० आधार पर भवन / कालोनी कें संनिर्माण कें लिये अस्थायी संयोजन कें लिये आवेदन करने कें समय यह आंकडा पुस्तिका कें अनुसार विहित प्रभार का निक्षेप करेगः। अस्थायी संयोजन कें लिये भार की मुक्ति की माप कीं जायेगी और भार अपेक्षित कुल भार कें 15% कें अधिकतम कें अध्यधीन अपेक्षा के अनुसार होगा।
- (ञ) अनुज्ञप्तिधारी 100% प्राक्कलित व्यय की प्राप्ति के बाद फीडर के संनिर्माण का कार्य प्रारम्भ करेगा। लेकिन, यदि प्राधिकारी/प्रवर्तक/ निर्माता/कालोनी निर्माता लाइन इत्यादि का संनिर्माण करने की वांछा करता है, तो वह खण्ड 4.6 (ड) विर्निदिष्ट पर्यवेक्षण प्रभार को अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षिप्त करने के बाद ऐसा कर सकता है।

आवेदन करते समय वहन किये जायेंगे। इसी प्रकार से मिश्रित सुविधाओं के संयोजन के लिये संयोजन व्यय प्रणाली, प्रसारित व्यय, मीटर का मूल्य प्रभूति की राशि आदि विकासकर्ता/निवासी कल्याण संघहन द्वारा वहन किये जायेंगे।

- (ज) प्राक्कित व्यय का शत प्रतिशत प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी पोषक का निर्माण कार्य का प्रारम्भ करेगा। तथापि यदि प्राधिकारी/प्रवर्तक/ निर्माता/कालोनी धारक स्वयम् कार्य का निर्माण करना चाहता है तो वह अनुच्छेद 4.6(ड.) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्रभार अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा कर निर्माण कार्य करा सकता है।
- (झ) विकासकर्ता / विकास प्राधिकरण विद्युत प्रणाली को अनुज्ञप्तिधारी को सौंपे जाने के पश्चात निम्न के प्रति उत्तरदायी रहते रहेंगेः
- (i) आन्तरिक वायरिंग तथा आन्तरिक प्रणाली का अनुरक्षण निवासी कल्याण संघ/विकासकर्ता का उत्तरदायित्व होगा,
- (ii) ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण तथा वांछित होने पर बदलना,
- (iii) बस बार, वितरण बक्सों तथा मीटर कक्ष का सुचारू रूप से धारा अवरोधक होना तथा उनके अनुज्ञप्तिधारी के अधीन ताला बन्द होना सुनिश्चित करना।
- (iv) पृथक मीटर के माध्यम से अलग केबिल द्वारा बैक—अप पावर प्रदान करना। तदनुसार, बैक—अप पावर के लिये अलग से बीजक निर्गत किया जायेगा। (ञ) परन्तक, कि एकल उपभोक्ताओं को निजि
- (अ) परन्तुक, कि एकल उपमाक्ताओं की निज संयोजन प्रत्येक भवन स्वामी से नया संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संहिता के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार प्रदान किये जायेंगे। उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीधी विद्युत आपूर्ति हेतु निजि संयोजन हेतु प्रत्येक उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा। इसी प्रकार मिश्रित आपूर्ति हेतु विकासकर्ता/निवासी कल्याण संघ संहिता के प्राविधानानुसार अलग से निवेदन करेगी तथा अनुज्ञप्तिधारी से मिश्रित सेवाओं हेतु विद्युत आपूर्ति का अनुबन्ध करेगी।

परन्तुक यह भी कि निजि संयोजन प्रबुद्ध पूर्व भुगतान प्रदत्त मीटर (स्मार्ट प्रि-पेड मीटर) के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे, जिसका मूल्य निजि स्वामी / निवासी द्वारा वहन किया जायेगा। ऐसे प्रि-पेड स्मार्ट मीटर की दर लागत सूंबाक पुस्तिका द्वारा निधारित को जायेगी। निजि उपभोक्ता अनुङ्गितिधारी द्वारा मीटर स्थापित

किये जाते समय नये मीटर की प्रारम्भिक रीडिंग लेंगे। मीटर के बदले जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेखों में प्रविष्ट की जायेगी।

परन्तुक आगे कि अनुज्ञप्तिधारी इस मीटर को पुनः धनपोषित (री—चार्ज) किये जाने की सुविधा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

परन्तुक यह भी कि बहुमंजिला भवन की विद्युत आपूर्ति के आगमन स्रोत पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर रथापित किया जायेगा जो सन्दर्भ मीटर की तरह कार्य करेगा। बहुमंजिला भवन के विद्युत आपूर्ति बिन्दू पर कुल विद्युत उपभोग इस संदर्भ मीटर में अंकित होगा जिसकी तुलना प्रत्येक बिलिंग साइकिल में समस्त एकल उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गयी विद्यत की मात्रा से की जायेगी। 11 केंग्वीं। तक के मामले में 4 प्रतिशत तथा उच्च वोल्टता पर आपूर्ति के मामले में 5 प्रतिशत तक ट्रांसफार्मर तथा एल. टी. लाइन हानियों के रूप में स्वीकार्य माना जायेगा। किसी भी बिलिंग साइकिल में विद्युत उपभोग सम्बंधित प्रकरण में 4 प्रतिशत / 5 प्रतिशत की उपर्यक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक पाये जाने पर इसकी गणना यनिटों में की जायेगी जो मिश्रित सेवाओं के उपभोग में जोड़ दी जायेगी। तथापि, यह अतिरिक्त यूनिट आवासीय भवनों के मामले में एलएमवी-1 दर सूची के लागू उच्चतम रलेव पर तथा वाणिज्यक भवनों के मामले में एल०एम०वी० की लागू दर सूची के उच्चतम स्लेव पर विद्युत प्रभार हेत् आगणित की जायेंगी।

भाग ब— बहुमंजिला भवन/मल्टी प्लेक्स/वैवाहिक हाल/विकास प्राधिकरणों और/या निजि निर्माताओं/सम्प्रवर्तको/कालोनी निर्माताओं/संस्थानों/निजी आवेदकों द्वारा विकसित की गयी कालोनियों में विद्यमान एकल बिन्दु आपूर्ति संयोजन का बहु बिन्दु संयोजनों में परिवर्तन

- क) समस्त बहुमंजिला भवन/मल्टीप्लेक्स/वैवाहिक हाल/विकास प्राधिकरणों और/या निजि निर्माताओं/सम्प्रवर्तकों/कालोनी निर्माताओं/ संस्थानों/निजि आवेदकों द्वारा विकसित की गयी कालोनियों में एकल बिन्दु पर विद्युत संयोजनों को बहु बिन्दु संयोजनों में दिनांक 31/03/2019 तक बदला जायेगा।
- ख) अनुज्ञप्तिधारी सन्दर्भ मीटर से प्रत्येक उपभोक्ता तक संयोजन बिन्दु हेतु विद्यमान वितरण व्यवस्था, ज़ैंसे भवन में ट्रांसफार्मर, बस बार, वितरण बक्से, सम्बद्ध संसाधनों तथा मीटर आदि के परिवर्तन की सुगमता

की सम्भावना हेतु 30 दिनों की अवधि के अन्दर निरीक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा अगले 30 दिनों में आवश्यक परिवर्तनों हेतु निर्माता/निवासी कल्याण संगठन को आवश्यक निर्देश देगा।

ग) अनुज्ञप्तिधारी निवासी कल्याण संगठन / निर्माता को निदेशित करेगा कि वे उन्हें अथवा उनके नामित प्रतिनिधियों को ऐसे परिवर्तनों से सम्बंधित कार्यवाही हेत आवश्यक व्यवस्था करें।

घ) एकल बिन्दु से बहु बिन्दु आपूर्ति हेतु ऐसे परिवर्तन का समस्त व्यय निवासी कल्याण संगठन/निर्माता द्वारा वहन किया जायेगा, जिसे वह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से उनके प्रत्येक उपभोक्ता को आवंटित अनुबंधित भार के अनुपात में वसूल कर सकता है। तथापि, व्यवस्था में बदलाव पर व्यय का सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

ड.) विकास प्राधिकरण और / या निजि निर्माता / सम्प्रवर्तक / कालोनी धारक / संस्थान / निवासी कल्याण संगठन परिवर्तन की सफलतापूर्वक पूर्ति के उपरान्त आंतरिक बिन्हु तक भवन के समस्त वितरण संयंत्रों को अनुज्ञप्तिधारी को सौंप देंगे तथा अनुपयोगी सामग्री के लिये कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

च) निवासी कल्याण संगठन/निर्माता/विकासकर्ता के अनुरोध पर एकल बिन्दु के परिवर्तन/सुधार कार्य के मामलों में व्यक्तिगत उपभोक्ताआं से वांछित परिवर्तन/सुधार हेतु एकल बिन्दु से बहु बिन्दुओं तक अनुमोदित प्राक्कलन के विरुद्ध एकत्रित धनराशि को अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान किया जायेगा जो एकल बिन्दु से बहु बिन्दुओं हेतु परिवर्तन कार्य शीघ्रता से पूरा करेगा, जिससे एकल बिन्दु से बहु बिन्दु परिवर्तन कार्य उपर्युक्त बिन्दुओं में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रा किया जा सके।

छ) विकासकर्ता / निवासी कल्याण संगठन आन्तरिक वितरण प्रणाली में ऐसे आवश्क परिवर्तन इस प्रकार करेगा जिससे बस बार, सन्दर्भ मीटर तथा अन्य सम्बद्ध प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी की सुलभ पहुँच में हो तथा इन संयंत्रों का नियंत्रण अनुज्ञप्तिधारी को सोंप दिया जायगा।

ज) एकल बिन्दु से बहु बिन्दु पद्धति हेतु आवश्यक परिवर्तन किये जाने के उपरान्त विद्युत प्रणाली द्वारा उपर्युक्त भाग 'अ' के बिन्दु (ख) में सन्दर्भित आकांक्षाओं की तत्सरता से प्रतिपूर्ति करना चाहिए। इसी प्रकार प्रणाली को अनुज्ञाप्तधारी को सौंपे जाने क उपरान्त विकासकर्ता / विकास प्राधिकरण / निवासी कल्याण संगठन का उत्तरदायित्व उपर्युक्त भाग 'अ' के सम्बंधित बिन्दुओं द्वारा निर्देशित होगा।

- झ) प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी को सौंपे जाने के उपरान्त व्यक्तिगत स्वामियों /निवासियों तथा निवासी कल्याण संगठन /विकासकर्ता को (मिश्रित सुविधाओं हेतु) संयोजन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपर्युक्त भाग अ के बिन्दु (अ) का दृढ़ता से अनुपालन द्वारा प्रदान किये जायेगे।
- ञ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन अवमुक्त किये जाने का कार्य अनुच्छेद 4.7 तथा 4.8 में निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा।
- न) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्यहकों को सीधे विद्युत आपर्ति प्रारम्भ करने से पूर्व पूरी एलoटीo वितरण प्रणाली का अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
- म) व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की स्थापना के समय पुराने मीटर की रीडिंग भी ली जायेगी।
- ल) अनुज्ञप्तिधारी अनुच्छेद 4.20 में दिये गये प्राविधानानुसार ली गई प्रतिभूति की धनराशि को लौटा देगा। बदले में विकासकर्ता/निवासी कल्याण संगठन व्यक्तियों को यह प्रतिभूति राशि लौटायेंगे।

4. अनुच्छेद 9.3 का संशोधन — कथित संहिता में अनुच्छेद 9.3 'नोटिस की तामील' को निम्नानुसार संशोधित किया गया।

विद्यमान उपभोक्ता पर किसी नोटिस की तामीली या तो उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी द्वारा नोटिस प्रदान करके या नोटिस को पंजीकृत डाक या कूरियर डाक द्वारा प्रेषित करके या अन् इप्तिधारी द्वारा अभिलेख पर रखे जाने के लिये सम्बद्ध क्षेत्र में सामान्य रूप से पढे गये दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी। व्यक्तिगत उपभोक्ता के मामले में उपभोक्ता की दंपत्ति में से किसी को या उसके प्रतिनिधि को और फर्म कम्पनी या निगम के मामले में ऐसे उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या मुख्य अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति पर तामीली को इस संहिता के प्रयोजन के लिये पर्याप्त तामीली माना जायेगा। स्विधा का भी अतिरिक्त अन्ज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त के प्रतिकूल हुये बिना प्रयोग किया जायेगा, यदि संभव हो।

संशोधित

उपभोक्ता पर किसी भी सूचना की तामील या तो उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने या सूचना को पंजीकृत डाक या कूरियर डाक द्वारा प्रेषित करने या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेख पर रखे जाने हेत. सम्बद्ध क्षेत्र में सामान्य रूप से पढे जाने वाले दैनिक समाचार-पत्र में की जा सकेगी अथवा पीडीएफ प्रारूप में सूचना अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित ई-मेल अथवा वाटसऐप संदेश के रूप में भेजी जायेगी। ई-मेल अथवा वाटसऐप संदेश अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेखों में रखा जायेगा। व्यक्तिगत उपभोक्ता के मामले में सूचना की तामील उपभोक्ता के दम्पत्ति अथवा उसके प्रतिनिधि तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान के मामले में ऐसे उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक अथवा प्रमुख अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति पर तामील को इस संहिता के प्रयोजनार्थ पर्याप्त तामीली माना जायेगा।

5. अनुच्छेद 9.4 का संशोधन — कथित संहिता में अनुच्छेद 9.4 को निम्न प्रकार संशोधित किया गया।

### विद्यमान संशोधित यदि कोई उपभोक्ता सूचना को स्वीकार करने हेतु यदि उपभोक्ता नोटस को नामंजूर करता है या प्राप्त करने में निर्वारित करता है, तो तामीली उपभोक्ता के मना करता है तो सूचना पीडीएफ प्रारूप में अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर परिसर पर सहजदृश्य स्थान पर दो व्यक्तियों की उपस्थिति में नोटिस चिपका कर या सम्बद्ध क्षेत्र में सहित (i) ई-मेल अथवा वाटसऐप संदेश के द्वारा सामान्य रूप से पढे गये दैनिक समाचार-पत्र में भेजी जायेगीः प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी और ऐसे मामले में प्रतिबन्ध यह कि ई-मेल एवं वाटसऐप सूचना पृष्ठांकन नोटिस के प्रतिलिपि पर किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों में रखी जायेगी। इसे चिपकाने या प्रकाशन को नोटिस की तामीली के अथवा लिये पर्याप्त माना जायेगा। (ii) दो गवाहों की उपस्थित में उपभोक्ता के परिसर के सादृश्य स्थान पर सूचना को चस्पा कर अथवा सम्बद्ध क्षेत्र में सामान्य रूप से पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन के माध्यम से तथा ऐसे मामलों में सूचना की प्रति पर पृष्ठाँकन अंकित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सहित सूचना संबंधी ई-मेल या वाटसएैप संदेश अथवा चरपा करने या प्रकाशित अभिलेख सूचना की तामीली हेत् पर्याप्त माने जायेंगे।

6. संहिता के संलग्नक 4.12 का संशोधन— कथित संहिता के संलग्नक 4.12 के अनुच्छेद 4.4 (क) को निम्नानुसार संशोधित किया गयाः

विद्यमान	संशोधित
4.4(क) इसके अधीन अपेक्षित या अनुमत सभी	(क) इसके आधीन अपेक्षित अथवा अनुमत समस्त
	नोटिस / सूचनायें लिखित में होंगी और संहिता में
इसके लिये विहित रूप में भेजी जायेगी। नोटिस	इसके लिये लिखित रूप में भेजी जायेंगी। सूचनायें
	कूरियर, पंजीकृत डाक/त्वरित डाक, फैक्स,
व्यक्तिगत परिदान, चिपकाने और समाचार पत्र में	
	प्रकाशन, पीडीएफ प्रारूप में सूचना अनुज्ञप्तिधारी के
	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित ई–मेल
रसीद, कूरियर मेल द्वारा प्रेषण की तारीख से 4	अथवा वाटसएैप संदेश के रूप में भेजी जा सकेगी।
(चार) दिनों के अवसान पर और व्यक्तिगत परिदान	कूरियर मेल, पंजीकृत डाक द्वारा परिदान के मामले
के मामले में उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों या	में कूरियर मेल तथा डाकघर रसीद की तिथि से
उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा उसकी रसीद के साथ	
और समाचार-पत्र में प्रकाशन के मामले में ऐसे	परिदान के मामले में उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों

समाचार—पत्र के प्रकाशन की तारीख पर साथ ही चिपकाने के मामले में उक्त परिसर की सहजदृश्य स्थान पर ऐसी नोटिस के चिपकाने के साथ ही उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किया जाना माना जायेगा।

या उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा उसकी रसीद के साथ, समाचार—पत्र में प्रकाशन के मामले में ऐसे समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि अथवा ई—मेल या वाटसऐप संदेश एवं व्यक्तिगत परिदान के मामले में उसकी सुपुर्दगी तथा चस्पा किये जाने के प्रकरण में कथित सूचना को उपभोक्ता के परिसर में सादृश्य स्थान पर चस्पा करने के साथ ही उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जायेगा।

आयोग के आदेशानुसार

(संजय श्रीवास्तव) सचिव

दिनांकः 10/08/2018



## Uttar Pradesh

# Electricity Supply Code (Thirteenth Amendment), 2018

No.: UPERC/Secy/Regulations/Supply Code/2018/206

Dated:10th Aug 2018

### Notification

#### Miscellaneous

Whereas the U.P. Electricity Supply Code 2005 (Twelfth Amendment) was notified on 6<sup>th</sup> April, 2018, in accordance with Sections 176 and 183 of Electricity Act, 2003 and all other enabling powers in this behalf;

And whereas, the licensees are facing difficulties in implementing some of the provisions of the Electricity Supply Code, 2005, and amendments thereof and have requested for certain amendments in the Electricity Supply Code.

And whereas, as a result of the above, and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code, 2005 and amendments thereof;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code, 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following amendments in Electricity Supply Code as Electricity Supply Code (Thirteenth Amendment), 2018.

- 1. Short title and commencement (1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Thirteenth Amendment), 2018.
  - (2) It shall come into force on the date of issue of this notification.

2. Amendment of clause 4.6(e)(ii) - In the said Code, in clause 4.6(e)(ii) shall be substituted as follows:

## Existing

4.6(e)(ii) If the work is to be done by the developer/ applicant 1 development authority, the Licensee shall charge supervision charges (on the estimated labour cost, cost of material handling and storage/inventory, but excluding the system loading charges and the establishment costs). percentage of the normative estimates, specified in Cost Data Book, which shall be deposited with the licensee before work begins.

### Amended

4.6(e)(ii) "If the work is to be done by the developer / applicant / development authority, the Licensee shall charge supervision charges (on the estimated labour cost, cost of material, material handling and storage / inventory, but excluding the system loading charges and the establishment costs), as a percentage of the normative estimates, specified in cost data book, which shall be deposited with the licensee before work begins.

Notwithstanding the amended provision coming into effect from the date of notification, the supervision charge on cost of material charged earlier in the estimates before this amendment shall not be refunded back."

3. Amendment of clause 4.9 - In the said Code, in clause 4.9 shall be substituted as follows:

Electricity Connection in the Multi-story Buildings / Multiplex / Marriage Halls / Colonies to be developed by Development Authorities and / or Private Builders / Promoters / Colonizers / Institutions / Individual applicants. (Approved by Licensed Electrical Inspectors).

(a) [Electricity connection at single point of supply with single point metering shall be provided to a new domestic / non-domestic Multistoried Buildings / Multiplex / Marriage Halls / Cooperative Group Societies Housing Colonies. with load exceeding 25 KW. Part A: New Electricity Connection in the Multi-story Buildings / Multiplex / Marriage Halls / Colonies to be developed by Development Authorities and / or Private Builders / Promoters / Colonizers / Institutions / Individual applicants. (Approved by Licensed Electrical Inspectors)

- a. All new connections domestic/ non-domestic Multistoried Buildings / Multiplex / Marriage Halls / Cooperative Group Housing Societies / Colonies shall be released only on multiple point for supply of power to individual owners/occupants from licensee.
- b. The role of developer / development authority shall limited he development of electrical infrastructure necessary to make available electricity supply to individual connections from system the of the distribution licensee. Accordingly, the initial in phase, the developer/development authority shall seek a temporary connection from the licensee for developing the electrical infrastructure. Once, the electrical infrastructure is developed.

this However. shall not restrict the individual owner from applying for individual connection, and the licensee shall sanction the connection to such applicant at L.T. (b) The load shall be calculated on the basis of area constructed as per norms given in annexure 4.6, provided the applicant for single point supply may give an option in the application for either (i) covered area calculation procedure, or (ii) as per actual requirement to the satisfaction of the licensee. (c) The applicant developer / development authority shall be responsible to:

(i) Develop, construct the entire infrastructure required for distribution network from the licensee's sub station (220/132/33 KV or

developer shall hand over the same including bus bar and other central equipment to the licensee, which shall remain under the control of the licensee. Upon successful completion and handing over the electrical infrastructure to licensee, all occupiers /consumers shall apply to the licensee for individual connections whereas, the developer/RWA shall apply for separate connection(s) for common facilities.

Explanation – for the purposes of this sub- section "electrical infrastructure means –

(i) Entire infrastructure required for distribution network from the licensee's sub-station (220/132/33 KV or 33/11KV or 11/0.4 KV), up to the connection outlets in individual owner's premises, which is to be developed at his own cost, or by depositing fixed amount as per Cost Data Book, with the Licensee. This shall include cost of dedicated feeder also, if required.

Provided that if the developer / development authority choses to construct the system on its own the material used shall be as per specification/GTP approved by the licensee.

(ii) Well ventilated Metering room of proper size for housing the licensee's meters preferably near the entrance within the property limits. Ideally, it should be accessible from outside without entering the complex.

33/11KV or 11/0.4 KV), upto the connection outlets individual owner's premises, at his own cost, or by depositing fixed amount as per Cost Data Book, with the Licensee. (ii) Arrange for safe housing with sealing of the bulk supply meter / submeters, and / or individual meters. and lay the underground / overhead internal cabling in trenches/ducts to each individual premise in the complex / colony. Construct Metering room of proper size and well ventilated for housing the licensee's meters preferably near the entrance at the boundary wall inside the property limits, and should accessible from outside without enterina the complex. (iv) Make use of **HVDS** wherever applicable, and introduce prepaid billing system for

- (iii) Safe housing and sealing of the bulk supply meter / sub-meters, and / or individual meters; and lay the underground / overhead internal cabling in trenches/ducts to each individual premise in the complex / colony.
- c. For seeking temporary connection, as provided above, the Authority / Promoter / Builder / Colonizer shall apply in the prescribed form along with prescribed charges, as provided in the cost data book, to the designated officer of the Licensee for construction of the building/colony on per KW/KVA basis. The release of load for temporary connection shall be metered, and the load shall be as per requirement subject to a maximum of 15% of the total estimated load required (herein after referred to as the "deemed load").
- d. Along with the application following will also be submitted
  - (i) a copy of the plan/map of the building / colony duly showing the constructed area of the entire building / colony, approved by the concerned Development Authority Mahapalika Nagarpalika /Gram Panchayat, or certified by registered Architect, and signed by the applicant. In case of non-submission of approval by the relevant authority / Government bodies / registered architect, the supply shall be given conditionally on receipt of an undertaking from the applicant taking full

of individual the use owners. The licensee may provide necessary guidelines to the applicant / developer / development authority. (d) For loads exceeding 25 KW, the Development Authority / Builder Promoter Colonizer/Institution shall: -- Submit an application in the prescribed form alongwith processing charges if any, to the designated officer of the Licensee the as per procedure specified above. Submit a copy of the plan/map of the building / colony duly showing the constructed area of the entire building / colony, approved by the Development concerned Authority / Mahapalika / Nagarpalika /Gram Panchayat, or certified by registered Architect, and signed by the applicant. -In case of non-submission of approval by the relevant

- responsibility that in the event of demolition, or objections from such authority, the supply shall be permanently disconnected by the licensee.
- (ii) Submit the detailed electrification plan for multiple point supply with provision of bus bar and reference meter at a point, which can be easily accessed by the licensee. The plan shall be approved by the licensee.
- (iii) An agreement affirming consent to maintain the lines and transformer provided in the layout till satisfactory completion of works.
- Submit undertaking (iv) that only after completion of works to the satisfaction of licensee, he shall handover the entire Distribution System along with the transformer(s) to the Distribution Licensee, without claiming any payment or refund of any charges.
- (v) Submission of No- dues certificate, and applicable charges specified by licensee and approved by the Commission.
- e. The deemed load shall be calculated as per procedure and norms specified in annexure 4.6 for determination of load in case of multi-storied building/colonies. This deemed load shall form the basis of estimate.

authority Government bodies 1 registered architect, the supply shall be given conditionally on receipt of an undertaking from the applicant taking full responsibility that in the event of demolition, or objections from such authority, the supply shall be permanently disconnected by the licensee. - Indicate the time schedule in which load is required to be released, and phasing schedule for part release of load. - In case single point supply option not exercised. submit an agreement affirming consent to maintain the lines and transformer centers erected in the layout till completion of works satisfactorily. Submit undertaking that only after completion of works satisfactorily, shall handover the entire Distribution System along

f. The Development Authority / Promoter / Builder / Colonizer shall bear the estimated cost of the distribution system (including the cost of transformer and / or Sub-Station, wherever required) as per clause 4.6(d), on the basis of deemed load in the following manner:

Load up to 50 KW (56 KVA): -

The L.T. existing mains shall be strengthened.

- Above 50 KW and up to 3600 KW (4000 KVA):
   11 KV existing feeders shall be extended if spare capacity is available, otherwise
  - 11 KV feeder shall be constructed from the nearest 33 KV or 132 KV sub-station
  - (if 11 KV voltage is available at 33 KV or 132 KV sub-station).
- Above 3600 KW up to 9000 KW (10,000 KVA): -
  - 33 KV feeder from 132 KV sub-station.
- Above 9000 KW (10,000 KVA): -
  - 132 KV feeder from nearest 132 KV or 220 KV sub-station.

(Note: 220 KV feeder from nearest 220 KV or 400 KV sub-station if considered essential by the licensee, shall also be permissible to the developers/ colonizer on their request. For 132KV and above, clearances from

with the transformer(s) to the Distribution Licensee, without claiming payment or refund of any charges. - Adhere to the prescribed procedure, submission of No-dues certificate, and applicable charges specified by licensee and approved by the Commission. (e) The Licensee shall sanction the load as per the procedure specified in Annexure 4.6 and clauses above. (f) The Development Authority / Promoter / Builder / Colonizer shall bear the estimated cost of the distribution system (including the cost of transformer and / or Sub-Station. wherever required) as per clause 4.6(d), on the basis of sanctioned load, or a part of sanctioned load (in case of request for release of load in phases / stages for transmission licensee shall be obtained wherever necessary.)

Provided that the above limits are indicative only, and:

- (i) The provisions for supply through independent feeder shall be as per Clause. 3.4
- (ii) The Licensee may decide differently the mode of giving supply in individual cases, after due approval of its Superintending Engineer, Chief Engineer or MD depending on voltage levels, to manage the infrastructure expediently keeping in mind the provisions of cl 4.2 (a).
- g. Authority / Promoter / Builder / Colonizer/ shall make payment for the estimated cost of the above work only. The service connection charges, system loading charges, cost of meter, security charges etc. shall be borne individually by the applicant inhabitants/occupier at the time of making an application for individual electricity connection. Similarly, the service connection charges, system loading charges, cost of meter, security charges etc. for the common facility connection shall be borne by the developer/RWA.
- h. The Licensee shall start the work of construction of feeder after receipt of 100% estimated cost.
   However, if Authority / Promoter / Builder /

a colony or a township), in the following manner:

o Load up to 50 KW (56 KVA): - The L.T. existing shall mains be strengthened, o Above 50 KW and upto 3600 KW (4000 KVA): - 11 existing feeders shall be extended if spare capacity is available, otherwise 11 ΚV feeder shall be constructed from the nearest 33 KV or 132 KV (if sub-station 11 KV voltage is available at 33 KV or 132 KV sub-station). o Above 3600 KW upto 9000 KW (10,000 KVA): -33 KV feeder from 132 KV sub-station. Above 9000 KW (10,000 KVA): - 132 KV feeder from nearest 132 KV or 220 KV substation.

(Note: 220 KV feeder from nearest 220 KV or 400 KV sub-station if considered essential by the licensee, shall also be

Colonizer desires to construct the system can do so after depositing with the licensee the supervision charges specified in clause 4.6(e).

- The developer / development authority shall continue to be responsible for following even after handover of the electrical system to licensee
  - (i) Maintenance of internal wiring & internal network shall be the responsibility of RWA/ developer.
  - (ii) To maintain and replace the transformer, if required.
  - (iii) To ensure that the Bus Bar, Distribution Boxes & Meter Room are properly insulated and are under the lock & key of licensee. A log book shall be maintained in the meter room to record the entry and history of seal inspection.
  - (iv) To provide back-up power from separate cable through separate meter. Accordingly, separate bills shall be raised for the backup supply
- Provided that individual connection shall be j. provided to the individual only after the receipt of the application for new connection from the individual premise owner, as per the clause 4.3 of this code. The agreement for individual connections will be signed between individual consumers and the licensee for direct supply of the licensee to the consumers. Similarly, the

permissible fo the developers/ colonizer on their request. For 132KV and above, clearances from transmission licensee shall be obtained wherever necessary.) Provided that above limits the are indicative only, and: (i) The provisions for supply through independent feeder shall be as per Clause. 3.4. (ii). The Licensee decide mav differently the mode of giving supply in individual cases, after due approval of it's Deputy General Manager / Chief General MD Manager /or depending on voltage levels, to manage the infrastructure expeditiently keeping mind in the provisions of cl 4.2 (a).

(g) Authority / Promoter / Builder / Colonizer shall make payment for the estimated cost of the above work only. The developer/RWA shall apply for connection of common facilities in accordance with provisions of this code and shall enter into an agreement with the license regarding the connection of common services.

Provided also that Individual connection shall be provided only through smart pre-paid meters, the cost of which shall be borne by the individual owners/ occupiers. The rates of such prepaid smart meters shall be governed by Cost Data Book. The meter shall be provided by the licensee. At the time of installation of meter by the Licensee, individual consumer shall note the initial reading of the new meter. The record of meters shall be taken in the system by the licensee after the change of meter.

Provided further that the licensee shall make effective arrangement for recharge facility online to every consumer.

Provided also that the meter installed by the licensee at the incoming supply of the multi- story building will act as reference meter. The total energy consumption of the electricity recorded at the incoming supply point of the multi-story building as per reference meter shall be compared with the total electricity consumption of all the individual meters installed in the building for each billing cycle. An energy difference of up to 4%, in case of supply up to 11 kV, and up to 5% in case of supply at higher voltages shall be treated as permissible.

service connection charges, system loading charges, cost of meter, security charges etc. shall be borne individually by the applicant inhabitants at the time of making an application for individual electricity connection. Provided that in case the Authority / Promoter / Builder / Colonizer submits an application for single point supply to licensee, for supplying to the individual owners of the flat in the multistoried complex / colony, all the costs / charges specified as in (g) above, shall be borne by him. The rules regarding the sale of energy to individual owners, and transfer of ownership of connection by the Authority / Promoter / Builder / Colonizer, shall be as per the provisions laid down in clause for 'Sale of Energy bγ consumer' as prescribed in

towards transformation and LT losses. In case the difference in energy consumption for any billing cycle works out to be higher than 4% / 5%as in respective cases mentioned above, then the difference of energy beyond permissible loss level shall be calculated in terms of units and the same will be added in the consumption of common services. However, these additional units, in case of residential buildings, shall attract the energy charges as applicable to the highest slab under LMV-1 category. Similarly, the additional units, in case of commercial complex, shall attract energy charges as applicable for the highest slab under applicable LMV category.

Part B: Conversion of Existing Single Point Connection to Multiple Point Connection in the Multistory Buildings/ Multiplex/ Marriage Halls/ Colonies to be developed by the Development Authorities and/or Private Builders/Promoters/Colonizers/Institutions/Individual Applicants.

a) All Multi-story Buildings /Multiplex/Marriage Halls/
Colonies developed by the Development
Authorities and/or Private Builders/ Promoters/
Colonizers/ Institutions, having single point
connection, shall convert their single point
connection into multiple point connection by
31/03/2019. The Commission may extend the
date in exceptional circumstances upon request.

clause 4.46. (h)The levy of charges on account of excess load where single point supply exists, shall be as per clause 6.9(A), and no checking of load or purpose of the individual owners of the flat shall be necessary. (i) The Authority / Promoter / Builder / Colonizer shall deposit prescribed charges as per cost data book at the time of making an application for temporary connection for the construction of the building/colony on per KW/KVA basis. The release of for load temporary connection shall be metered, and the load shall be as per requirement subject to a maximum of 15% of the total load required.

(j)The Licensee shall start the work of construction of feeder after receipt of 100% estimated cost.

- b) The Licensee shall take necessary steps to inspect the existing distribution network from the reference meter to the point of connection to individual consumer such as transformers, busbars, distribution boxes, allied equipment and meters etc. of the building for assessing feasibility of effecting such change within a period of 30 days and issue necessary instruction to the builders/RWA for such change within next 30 days.
- c) The licensee shall direct the RWA/builder to make necessary arrangement for easy access of the building to the Licensee or its authorized representatives for the purpose of any activity related to such change.
- d) The entire cost of such conversion from single point to multi point supply shall be borne by the RWA/builder who in turn can recover this cost from the individual residents in proportion to the contracted load allotted to each individual resident. However, the expenditure on change in the infrastructure shall be vetted by the concerned Executive Engineer.
- e) Upon successful change, the Development Authorities and/or Private Builders /Promoters /Colonizers /Institutions/RWA shall handover the entire distribution system of the building up to the interface point with the licensee & no

However, if Authority Promoter Builder 1 Colonizer desires to construct the lines etc. can do so after depositing with the licensee the supervision charges specified in clause 4.6(e).]

compensation shall be provided for the redundant material.

- In case work of conversion/modification of single point connection is taken up by the distribution licensee on the request of RWA/builder/ developer, the money collected from individual consumers against estimate approved by the licensee for effecting the necessary conversion/modification from existing single point to multi- point shall be handed over to licensee, who shall carry out the work at the earliest so as to complete the changeover from single point to multi-point within the timeline specified under the point (a) above.
- g) The developer/RWA shall also make necessary changes in the internal distribution network in such a way that the bus bar, reference meter and other associated system is easily accessible to the licensee and the control of these equipment shall be handed over to the licensee.
- h) After carrying out necessary change for effecting multi-point connection system from single point connection system, the electrical infrastructure should strictly adhere to the requirements as mentioned in point (b) of part-A above. Similarly, the responsibilities of the developer/development authority/ RWA, subsequent to hand-over of the

system to licensee, shall be governed by respective points of part-A above.

i) Subsequent to transfer of system to licensee, connections shall be provided to individual owners/occupiers and to RWA/developer (for common facilities) strictly in accordance with point (j) of part-A above. The load for individual connections shall be calculated as per norms given in annexure 4.6.

Provided that the service connection charges, cost of meter, etc. shall be borne individually by the applicant inhabitants/occupier at the time of making an application for individual electricity connection. Similarly, the service connection charges, cost of meter, etc. for the common facility connection shall be borne by the developer/RWA. However, the system loading charges shall not be levied again as it has already been recovered.

- j) The Licensee shall complete the work of releasing the connection within the time prescribed in the clause 4.7 & 4.8, as the case may be.
- k) The complete LT Distribution system will be approved by EE before start of supply of electricity by the licensee to the customers directly.
- At the time of installation of meter by the Licensee,
   the individual consumer shall note the reading of

	the old meter as well as the initial reading of the
	new meter.
	m) The Licensee shall refund the security deposit as
	per the provision given in clause 4.20. The
	developer/RWA in turn will refund this security
	amount to individuals
***	

**4. Amendment of clause 9.3 -** In the said Code, in clause 9.3 'Service of Notices' shall be substituted as follows:

Existing	Amended
Service of any notice on the consumer	Service of any notice on the consumer
may be effected either by delivering the	may be effected either by delivering the
notice to the consumer in person by an	notice to the consumer in person by an

official of the Licensee or by dispatching the notice by registered post or Courier post or by publication in daily newspaper commonly read in the concerned locality to be kept on the record by the Licensee. In the case of an individual consumer, service of notice to the consumer's spouse or his representative, and in the case of a firm, company or corporation, on the Managing Director, Director or Principal Officer or an authorised person of such a concern, shall be taken as sufficient service for the purposes of this code. Email facility shall be also additionally be used without prejudice to the above, by the licensee if possible.

official of the Licensee or by dispatching the notice by registered post or Courier post or by publication in daily newspaper commonly read in the concerned locality to be kept on the record by the Licensee or by E-mail or by WhatsApp message containing notice with signature of authorized officer of the licensee in PDF format. The record of the E-mail and WhatsApp message shall be kept in record by the licensee. In the case of an individual consumer, service of notice the consumer's spouse or his representative, and in the case of a firm, company or corporation, on the Managing Director, Director or Principal Officer or an authorised person of such a concern, shall be taken as sufficient service for the purposes of this code.

### 5. Amendment of clause 9.4 In the said Code, in clause 9.4 shall be substituted as follows:

Existing	Amended
If a consumer refuses or avoids receiving	If a consumer refuses or avoids receiving
the notice, the service may be effected by	the notice, the service may be effected by
affixing the notice at a conspicuous place	(i) E-mail or by WhatsApp message
on the premises of the consumer, in the	containing notice with signature of
presence of two witness or by publication	

in daily newspaper commonly read in the concerned locality, and in such cases an endorsement shall be made on the copy of the notice. This affixture or publication shall be deemed as sufficient for service of notice.

authorized officer of the licensee in PDF format.

Provided that the record of the E-mail and WhatsApp message shall be kept in record by the licensee

or

(ii) by affixing the notice at a conspicuous place on the premises of the consumer, in the presence of two witness or by publication in daily newspaper commonly read in the concerned locality, and in such cases an endorsement shall be made on the copy of the notice.

The record showing E-mail or WhatsApp message containing notice with signature of authorized officer of the licensee or affixture or publication shall be deemed as sufficient for service of notice.

6. **Amendment of Annexure 4.12** In the said Code, in Annexure 4.12 clause 4.4(a) shall be substituted as follows:

Existing	Amended
(a) All notices /intimation required or	(a) All notices /intimation required or permitted
permitted hereunder shall be in writing and	hereunder shall be in writing and shall be sent
shall be sent in the format prescribed for in	in the format prescribed for in the Code. Notices

the Code. Notices may be sent by courier, registered post / speed post, fax, personal delivery, affixation, and publication in a newspaper. Notice shall be deemed to have been received by the Consumer on the expiry of 4 (four) days from the date of dispatch by courier mail, Post Office receipt in the case of delivery by registered and speed post, and in case of personal delivery simultaneous with the receipt thereof by the consumer or its employees representative of the Consumer and in the case of publication in a newspaper simultaneous on the date of publishing of such newspaper and in the case of affixation simultaneous with the affixation of such notice at a conspicuous place of the said premises.

may be sent by courier, registered post / speed post. fax. personal delivery. affixation. publication in a newspaper, E-mail or WhatsApp message containing notice with signature of authorized officer of the licensee in PDF format. Notice shall be deemed to have been received by the Consumer on the expiry of 4 (four) days from the date of dispatch by courier mail, Post Office receipt in the case of delivery by registered and speed post or by E-mail or by WhatsApp message and in case of personal delivery simultaneous with the receipt thereof by the consumer or its employees or representative of the Consumer or in the case of publication in a newspaper simultaneous on the date of publishing of such newspaper and in the case of affixation simultaneous with the affixation of such notice at a conspicuous place of the said premises.

By the order of the Commission

(Sanjay Srivastava) Secretary

Dated: 10.08.2018